न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 100 / 2025

श्री नरेन्द्र कुमार तोगडा पुत्र नानू लाल जाट निवासी माधोगंज, तहसील व जिला टोंक

--अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक --प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक** 30.12.2025

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 06.09.2025 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई:-

1. दिनांक 05.06.2025 को ग्राम माधोगंज में नानूलाल पुत्र रामकरण जाट के द्वारा बोई गई ज्वार, चारा व सब्जी की फसल को ट्रेक्टर चलवाकर आपके ही सामने आप द्वारा नष्ट करवाने की कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपि ।
2. उक्त फसल को नष्ट करवाने से पहले दी गई पूर्व सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि ।
3. दिनांक 06.06.2025 को (नरेन्द्र) मुझे आप (मानवेन्द्र सिंह जायसवाल) द्वारा मुर्गा बनने का आदेश देकर मुझे मुर्गा बनाकर मेरी फोटो आपके द्वारा मोबाईल से खींची गई की प्रमाणित प्रतिलिपि ।
4. दिनांक 05.06.2025 को मेरी दादी रूपा देवी के लिखे बयान जिस पर दादी का अंगूठा लगवाया गया की प्रमाणित प्रतिलिपि ।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक को पत्र क्रमांक 2089 दिनांक 03.11.2025, 2180 दिनांक 14.11.2025, 2309 दिनांक 27.11.2025 व 2461 दिनांक 18.12.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नहीं हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक ने आज दिनांक तक कोई जवाब प्रेषित नही किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध नही करवाई गई। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना उपलब्ध कराने की अवधि 30 दिवस निर्धारित की हुई है। अतः अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित सूचना/सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 20 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(कल्पना अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

769